



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129607

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 20482 वर्ष 2026

याकूब

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : शीबा रिज़वी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक के आपराधिक इतिहास के बारे में बताते हुए एक अतिरिक्त हलफ़नामा (सप्लीमेंट्री एफ़िडेविट) दाखिल किया है, जिसे रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।
2. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री शीबा रिज़वी और राज्य-प्रतिवादी (स्टेट-रेस्पॉण्डेंट) के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक दुबे की दलीलें सुनी गईं।
3. यह जमानत आवेदन बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के तहत दाखिल की गई है। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 215/2026 (धारा 3/5/8 उ.प्र. गो-वध निवारण अधिनियम, थाना- नजीबाबाद, ज़िला- बिजनौर) में मुकदमा लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को देखने से पता चलता है कि एफआईआर सूचनाकर्ता पीयूष बजरंगी की शिकायत पर एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ़ दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान, इस मामले में आवेदक का नाम सामने आया।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में आवेदक का नाम नहीं था। आवेदक को घटना स्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया था। आवेदक के पास से गोमांस से जुड़ी कोई भी आपत्तिजनक चीज़ बरामद नहीं हुई है। कथित

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। आवेदक 10.05.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

6. राज्य की ओर से उपस्थित ब्रीफ़ धारक अधिवक्ता श्री विवेक दुबे ने ज़मानत की आवेदन का ज़ोरदार विरोध किया और कहा कि आवेदक एक हिस्ट्री-शीटर है जिसका आपराधिक इतिहास चार मामलों का है, यानी: मुकदमा अपराध संख्या 216/2026, बीएनएस की धारा 109(1) और 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 3/25/27 के तहत, पुलिस स्टेशन नजीबाबाद, ज़िला बिजनौर; मुकदमा अपराध संख्या 330/2003, आईपीसी की धारा 398 और 401 के तहत, पुलिस स्टेशन नागल, ज़िला बिजनौर; मुकदमा अपराध संख्या 331/2003, आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत, पुलिस स्टेशन नागल, ज़िला बिजनौर; और मुकदमा अपराध संख्या 339/2011, आईपीसी की धारा 379 के तहत, पुलिस स्टेशन नजीबाबाद, ज़िला बिजनौर।

7. ऊपर बताए गए चार मामलों के आपराधिक इतिहास को देखने से पता चलता है कि आवेदक का आपराधिक इतिहास चार मामलों का है जिनमें अलग-अलग अपराध शामिल हैं। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि ज़मानत की आवेदन को केवल आवेदक के आपराधिक इतिहास के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, ऐसा लगता है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था और उसे घटना स्थल पर गिरफ्तार नहीं किया गया था। आवेदक के पास से गोमांस से जुड़ी कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई, और विवेचना के दौरान उसका नाम सामने आया। राज्य की ओर से ऐसी कोई उचित आशंका नहीं जताई गई है कि ज़मानत मिलने पर आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा, गवाहों को प्रभावित या डराएगा-धमकाएगा, या किसी अन्य तरीके से मुकदमे में देरी करेगा। इसलिए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक ज़मानत पाने का हकदार है।

9. मुकदमा अपराध संख्या 215/2026 (धारा 3/5/8 उ.प्र. गो-वध निवारण अधिनियम, थाना- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर) में शामिल आवेदक- **याकूब** को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की दो ज़मानतें जमा करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:

- i. आवेदक अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा;
- iii. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई हर तारीख पर पेश होगा।

10. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष ज़मानत रद्द करने की आवेदन देने की छूट होगी।

(विनय कुमार द्विवेदी, न्यायमूर्ति)

30 जून, 2026

आदित्य